भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2879**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौते का प्रभाव

2879, श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही **में** हुए अमेरिका-बांग्लादेश समझौतों की जानकारी है, जिनके अंतर्गत कतिपय मामलों में अधिमान्य या शून्य शुल्क अभिगम प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने बांग्लादेश द्वारा अमेरिका के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश की अमेरिका से कपास और वस्त्र सामग्री की खरीद पर होने वाली संभावित निर्भरता का भारत के कपास किसानों, कताई मिलों और सूत निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र और परिधान निर्यातकों के लिए समान या समकक्ष बाजार अभिगम सुनिश्चित करने हेतु अमेरिका के साथ कोई वार्ता या चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का भारतीय परिधान निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में समान अधिमान्य अभिगम प्रदान करने के लिए अमेरिकी कपास पर आयात शुल्क माफ करने या कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार 9 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित अमेरिका-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौते से अवगत है।

(ख) बांग्लादेश के सूती धागे के आयात में भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है और बांग्लादेश की सीमित घरेलू कताई क्षमता के कारण भारत को संरचनात्मक लाभ मिला हुआ है। हालांकि,

बांग्लादेश द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चे कपास का आयात संभवत: भारत से वर्तमान में प्राप्त होने वाले बड़ी मात्रा में सूत की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होगा ।

बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते से अमेरिकी कपास की मांग में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक दबाव को मुख्य रूप से अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ही संभाले जाने की संभावना है। भौगोलिक निकटता, कम माल ढुलाई लागत, कम पारगमन समय, स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं और दीर्घकालिक उद्योग संबंधों को देखते हुए बांग्लादेश के साथ भारत का कपास व्यापार लाभान्वित होता रहेगा। ये संबंध द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 2 फरवरी 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इस संबंध में एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया। रूस से भारत के तेल आयात का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा भारत के कुछ निर्यातों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त मूल्य-आधारित टैरिफ हटा दिए गए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के 20 फरवरी 2026 के फैसले के अनुसार, पारस्परिक टैरिफ अमान्य घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए ये टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर कुछ उत्पादों पर सभी देशों पर 10% शुल्क लगा दिया है। सरकार इसके बाद के सभी घटनाक्रमों के निहितार्थों का अध्ययन कर रही है और इस संबंध में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई।

******